न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस

प्रकरण सं. 68/2015/251–ए आरटीए

अभिनव चुग पुत्रश्री महेश चुग उम्र 35 वर्ष जाति अरोड़ा (पंजाबी) निवासी पिपराली रोड़ सीकर सदर थाने के पास वार्ड नं. 38 सीकर हाल आबाद डी–704 महिया आईसकीम स्वजे फार्म, जयपुर – 302019

–प्रार्थी

ब ना म

1. भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन समिति, सीकर जरिये अध्यक्ष श्री राघवाचार्य जी हाल रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री रेखराज पारीक वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक– 14.12.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खसरा नं. 147, 148 किता 2 कुल रकबा 2.53 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रैवासा प.मं. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नं. 146 रकबा 0.63 है0 की उतरी सीमा के सहारे 27.5 मीटर लम्बा तथा तथा 40 फीट चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार अनावेदक सं. 1 की उतरी सीमा के रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते का अंकन अनावेदक की संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं प्रार्थी को अपने खेत में खसरा नं. 147, 148 किता 2 कुल रकबा 2.53 है. में पहुंचने हेतु अप्रार्थी की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यक है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से संपूर्णतया वंचित हो जायेंगे। यह प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करते है कि हमें खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 147, 148 किता 2 कुल रकबा 2.53 है वाके ग्राम रैवासा प.मं. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता जो खसरा नं. 146 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार अनावेदक सं. 1 की उतरी सींव के सहारे सहारे 27.5 मीटर तथा चौड़ा 40 फीट दिलवाने की कृपा करें। आवेदन के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेश ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की पेश की गई है।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार, पलसाना से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक,

पलसाना से डीएलसी दर चाही गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री रेखराज पारीक ने वकालतनामा पेश किया एवं खातेदार गौ सेवा केन्द्र, रैवासा के अध्यक्ष पवन मोदी की ओर से इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रैवासा की सीमा में स्थित भूमि खसरा नं. 146 कुल रकबा 0.63 है0 किस्म भूमि गै.मु. गौशाला जो कि गौ सेवा केन्द्र, रैवासा के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें से अभिनव चुग पुत्रश्री महेश चुग निवासी पिपराली रोड़ सीकर के प्रार्थना पत्र पर खसरा नं. 146 की दक्षिणी सीमा केसहारे बाजौर रैवासा सड़क से ख.नं. 147 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक राजकीय हक में आरटीए की धारा 251 (ए) के तहत गैर मुमकिन रास्ता निःशुल्क दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान करता हूं जिसकी लम्बाई 64 मीटर एवं चौड़ाई 9.15 मीटर (30) है जिसका कुल क्षेत्रफल 586 वर्गमीटर अर्थात् 0.0586 है0 है। उप तहसीलदार, पलसाना ने पत्रांक भूअ/15/1027 दिनांक 30.102015 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम रैवासा के ख.नं. 146 रकबा 0.63 है0 किस्म गै.मु. गौशाला जो कि गौ सेवा केन्द्र रैवासा लीज अवधि दिनांक 19.9.2009 से दिनांक 18.9.2027 तक खातेदारी दर्जहै जिसमें से रैवासा से बाजौर जाने वाली डामर सड़क पश्चिमी दिशा में मध्य के लगभग से गुजरती है, खसरा नं. 146 की पूर्व दिशा में सस्पर्शी आवेदक अभिनव चुग के खसरा नं. 147, 148 में पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। मौके पर खसरा नं. 146 की दक्षिणी दिशा में ख.नं. 151/1 की उतरी दिशा पर उक्त खसरा नं. 147 में पहुंचने हेतु 13 फीट चौड़ा रास्ता चालू पाया गया जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है खाते की भूमि खसरा नं. 146 व 151/1 में से छोड़कर खसरा नं. 146 की दक्षिणी सीमा व 151/1 की उतरी सीमा कायम कर तार बाउण्ड्री बना रखी है तथा पश्चिम दिशा पर लोहे का गेट लगा रखा है उक्त रास्ता के अलावा आवेदक की भूमि ख.नं. 147, 148 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं आवेदक द्वारा खनं. 146 की उतरी सीमा के सहारे रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई 50 मीटर है। उक्त ख.नं. 146 में से रास्ता दिया जाता है तो 30 फुट **X** 50 मीटर (9.15 **X** 50 मी.) 457.50 वगमीटर भूमि रास्ते के रूप जायेगी। उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 8,20,985 रू. प्रति हैक्टर है डीएलसी दर से प्रस्तावित रास्ते की की कीमत 37,560 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 75,120 रू. होती है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अध्यक्ष, गौ सेवा केन्द्र, रैवासा का लिखित सहमति पत्र का हवाला देते हुए बहस के दौरान कथन किया कि खसरा नं. 146 की दक्षिणी सीमा के सहारे बाजौर रैवासा सड़क से प्रार्थी अभिनव के खेत ख.नं. 147 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक राजकीय हक में गैर मुमकिन रास्ता निःशुल्क दर्ज करने हेतु सहमति अनुसार लम्बाई 64 मीटर एवं चौड़ाई 9.15 मीटर(30 मीटर) कुल क्षेत्रफल 586 वर्गमीटर अर्थात् 0.0586 हैक्टर है को निःशुल्क दिये जाने की सहमति है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं उप तहसीलदार पलसाना के पत्रांक भूअ/15/1027 दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अध्यक्ष, भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन समिति, गौ सेवा केन्द्र, रैवासा के राज हक में रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति पत्र दिनांक 04.12.2015 का अवलोकन किया गया। इस प्रकार गौ सेवा केन्द्र, रैवासा के अध्यक्ष द्वारा दी गई सहमति पत्र के अनुसार 64 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर (30 फीट) चौड़ाई रास्ते हेतु राज हक में दर्ज की जानी है। चूंकि प्रस्तावित भूमि ख.नं. 146 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की डीएलसी दर 8,20,985 रूपये प्रति

हैक्टर है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 64 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर (30 फीट) चौड़ाई अर्थात् कुल क्षेत्रफल 0.0586 है0 की कीमत 48110 रूपये जिसकी दुगुनी 96,220 रूपये होती है। लेकिन अध्यक्ष, गौ सेवा केन्द्र, रैवासा द्वारा उक्त भूमि निःशुल्क दिये जाने की सहमति दी गई है। उप तहसीलदार, पलसाना ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर खसरा नं. 146 की दक्षिणी दिशा में ख.नं. 151/1 की उतरी दशिा पर उक्त ख.नं. 147 में पहुंचने हेतु 13 फुट चौड़ा रास्ता चालू बताया गया है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत ख. नं. 147, 148 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते ख.नं. 146 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक, रैवासा की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर 13 फुट चालू है प्रार्थी द्वारा 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है उक्त प्रस्तावित राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। प्रस्तावित भूमि ख.नं. 146 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की डीएलसी दर 8,20,985 रूपये प्रति हैक्टर है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 64 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर (30 फीट) चौड़ाई अर्थात् कुल क्षेत्रफल 0.0586 है0 की कीमत 48110 रूपये जिसकी दुगुनी 96,220 रूपये होती है। उक्त राशि खातेदारों के हिस्से अनुसार देय है। चूंकि खातेदार ने जरिये अध्यक्ष, गौ सेवा केन्द्र, रैवासा निःशुल्क रास्ता की भूमि राजहक में दिये जाने की सहमति दी है एवं निःशुल्क गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने हेतु सहमति दी है। इस प्रकार अप्रार्थी के निवेदन अनुसार रास्ते की भूमि निःशुल्क प्रदान करने की सहमति प्रदान करने से प्रस्तावित राशि देय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को अपने खेत ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के ख.नं. 147, 148 में आने जाने हेतु आवेदित रास्ता दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 147, 148 किता 2 कुल रकबा 2.53 है0 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए आवेदित भूमि ख.नं. 146 रकबा 0.63 है0 की खातेदारी गौ सेवा केन्द्र, रैवासा की है, में से 64 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर(30 फीट) चौड़ाई यानि कुल रकबा 586 वर्गमीटर अर्थात् 0.0586 हैक्टर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के ख.नं. 146 रकबा 0.63 है0 में से 64मीटरX9.15(30 फीट) = 586 वर्गमीटर को सिवाय चक गैर मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम करवाकर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तद्नुसार तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 14.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ